



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2730]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938

No. 2730]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2016

का.आ. 3494(अ).—यतः, भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016 के खंड 20 के उप-खंड (1) के तीसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि नियामक प्राधिकरण की स्थापना तक समुचित सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसके प्रयोजनार्थ किसी नियामक प्राधिकरण अथवा किसी अधिकारी को नियामक प्राधिकरण नियुक्त करेगी।

2. यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय है।

3. अब, अतः, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में नियामक प्राधिकरण की स्थापना तक, उक्त अधिनियम के खंड 20 के उप-खंड (1) के तृतीय प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए शहरी, विकास मंत्रालय उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रयोजनार्थ एतद्वारा उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियुक्त नियामक प्राधिकरण के रूप में करती है।

[फा. सं. 15(5)/2016-यूसीयू]

भूपेन्द्र बहुगुणा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2016

S.O. 3494(E).—Whereas, the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 stipulates that until the establishment of a Regulatory Authority, the appropriate Government shall designate any Regulatory Authority or any officer as the Regulatory Authority for the purposes under the Act.

2. Whereas, the appropriate Government under the said Act for the National Capital Territory of Delhi is the Central Ministry of Urban Development.

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the said Act, until the establishment of Regulatory Authority in National Capital Territory of Delhi, the Ministry of Urban Development hereby designates Vice Chairman, Delhi Development Authority as the Regulatory Authority for the purposes under the said Act.

[F. No. 15(5)/2016-UCU]

BHUPENDRA BAHUGUNA, Under Secy.